UPHR010049152026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P.5728)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2352/2026

सत्यम पुत्र देशराज निवासी ग्राम कुतुआपुर, थाना कोतवाली शहर, जिला हरदोई।

----------आवेदक/अभियुक्त

बनाम

सरकार---------- विपक्षी/अभियोगी।

दिनांक–20.07.2026

1– यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त सत्यम की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–589/2025, अन्तर्गत धारा–305(a) बी०एन०एस०, थाना कोतवाली देहात, जनपद हरदोई के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार देशराज का शपथ पत्र प्रस्तुत कर जमानत प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों को सही व सत्य बताया गया है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा नरेश पाल सिंह के द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय की प्राथिमकी देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि प्रार्थी ब्लाक अहिरोरी में ग्राम खेतुई की पानी की टंकी पर आपरेटर के पद पर कार्यरत है। दिनांक 28.10.2025 की रात की कुछ अज्ञात लोगों द्वारा टंकी के कैम्पस में रखे पाँच सोलर पैनल चोरी कर लिये।

4– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए तर्क किया गया कि वह निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गय है। उसको रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं नहीं है और न ही कथित घटना का कोई निश्चित समय दर्शाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त कोई प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न ही प्रस्तुत किया गया है, न ही निरस्त हुआ है और न ही माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत की याचना की गयी है।

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.07.20 15:14:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5– प्रत्युत्तर में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को खण्डित करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6– जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

7– केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा जिस पानी की टंकी पर आपरेट था, के कैम्पस से पाँच सोलर पैनल चोरी किये गये। आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से इस प्रकरण से संबंधित कोई माल बरामद नहीं किया गया है तथा आवेदक/अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त इस प्रकरण के अतिरिक्त एक अन्य मुकदमें अपराध संख्या 201/2026, थाना कोतवाली देहात, जिला हरदोई का अपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है किन्तु इस मुकदमें उसे दोषसिद्ध होना नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त इस मुकदमें में दिनांक 02.07.2026 से जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध है।

8– मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, अपराध की प्रकृति एवं उसमें प्रावधानित दण्ड को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मेरी राय में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **सत्यम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **50,000/– (पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक जमानत सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

1. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।
2. आवेदक/अभियुक्त आरोप तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी० एन० एस० एस० जैसी सारवान तिथियों पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगा।

4. आवेदक/अभियुक्त जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगा।
5. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जायेगा।
6. आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक–20.07.2026

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।